न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—299/2016

प्रार्थी:—

सांगसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी पाबुनगर हरीपुरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:—

1. सवाईसिंह पुत्र कुंभसिंह
2. देवीसिंह पुत्र भैरसिंह
3. खीवसिंह पुत्र भैरसिंह
4. गुमानसिंह पुत्र भैरसिंह
5. भंवरीकंवर पत्नि गजेसिंह
   जाति राजपूत निवासी भैरूसागर
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
6. तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी।

अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी. एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांक:— 4/12/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पाबूनगर के खसरा नम्बर 154 रकबा 37 बीघा 06 बिस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है जिसमें प्रार्थी का पक्का घर बना हुआ है। उक्त भूमि के दक्षिण तरफ ग्राम पाबूनगर के खसरा नं. 155 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त भूमि से आगे दक्षिण में कटाण रास्ता आया हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में से एक कदीमी रास्ता चलता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2025.03.13 11:15:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner

जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। इसके अलावा प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण हाल ही में उक्त रास्ते को अवरूद्व व बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थी द्वारा रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को उक्त रास्ता कटाण के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर दो गट्टा चौड़ा प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी.एल. सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिये तैयार है। अप्रार्थीगण की भूमि असिंचित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में रहवासी ढाणी बनी हुई है कटाण के रास्ते से प्रार्थी की भूमि में खाद–बीज, अनाज व चारा आदि की झाले व ट्रक आने–जाने के लिये दो गट्टा चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। यह रास्ता लघुतम व निकटतम रास्ता है। अतः न्यायहित में कटाण के रास्ते से उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 155 में से नजरी नक्शे में दर्शाये गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक दो गट्टा चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु कोई रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि के बीच में से न तो पूर्व में चलता था न ही वर्तमान में चालु है। प्रार्थी ने नजरी नक्शे में जो रास्ता दर्शाया है प्रार्थी द्वारा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का कथन गलत बताया है, जबकि प्रार्थी की भूमि में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 148 में से निकलने वाली ग्रेवल सड़क तक विद्यमान है जो खसरा नम्बर 135 की सीमा (कणे पर) पर चलती है तथा आगे डामर सड़क से लगती है। जिसका उल्लेख प्रार्थी ने नहीं किया है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं चलता है। इस प्रकार प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता है जो प्रार्थी आज तक काम में लेता रहा है। जब प्रार्थी के आने जाने के लिये अप्रार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता ही नहीं है तो उसके लिये सहमति हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कहने व इसे राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि अप्रार्थीगण की भूमि में प्रार्थी को रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि दो भागों में विभक्त हो जायेगी तथा एक भाग अनुपयोगी हो जायेगा इसके विपरीत अप्रार्थीगण की भूमि में से नया रास्ता [illegible] से अप्रार्थीगण को भारी नुकसान व असुविधा होगी। [illegible] भूमि की कीमत बढाने के उद्देश्य से यह झूठा प्रार्थना [illegible] पेश किया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

यह है कि उपरोक्त प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.12.2019 को मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर पेश की गई।

यह है कि बहस पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा बताया गया रास्ता ए से बी है तथा प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु एक वैकल्पिक रास्ता सी से डी दर्शाया हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा वर्तमान में लगातार किया जा रहा है है जो डामर सड़क से लगता है जबकि ए से बी कटाणी मार्ग पर स्थित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मौके पर प्रार्थी को कोई रास्ते की समस्या नहीं है तथा मौका रिपोर्ट व जवाब प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 148 में से उपलब्ध है फर्द मौका में मार्क सी से डी दर्शाया हुआ है, वहीं से प्रार्थी आता–जाता रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने व प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता चालु हालात में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 4/12/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:15:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner